भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1171
03 दिसंबर 2024, को उत्तरार्थ

विषय: बीज अधिनियम में कम्प्यूटर स्टॉक रजिस्टर का उपयोग
1171. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या देश में कंप्यूटर स्टॉक रजिस्टर को कीटनाशी अधिनियम के मामले में मान्यता दी गई है जबकि बीज अधिनियम के मामले में इसे मान्यता नहीं दी गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने बीज अधिनियम के मामले में कंप्यूटर स्टॉक रजिस्टर को मान्यता देने के लिए कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): डिजिटल स्टॉक रजिस्टर को कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त है। तथापि, बीज अधिनियम, 1966 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत, प्रत्येक बीज डीलर को बीज स्टॉक रजिस्टर बनाए रखना अपेक्षित है। इसके अलावा, बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसिबिलिटी और समग्र सूची (साथी) पोर्टल, जिसे संपूर्ण बीज उत्पादन और वितरण श्रृंखला को कवर करने वाली प्रभावी निगरानी, दक्षता और पारदर्शिता के लिए बीज ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।

*****